	शीर्ष प्राथमिकता **संख्या-883 /तीन-2019-6(12)/2018**

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद /मथुरा/ फिरोजाबाद।

सामान्य प्रशासन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2019**

विषयः- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 व अन्य वर्षों की एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85 सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97 सा0प्र0अनु0, दिनांक 06 मई, 1999, शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004, दिनांक 21 सितम्बर, 2008 एवं शासनादेश संख्या-647/तीन-2018-10(35)/2016, दिनांक 10-10-2018 के अनुसार श्री राज्यपाल अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत शौर्य चक्र से अलंकृत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखिति 03 नागरिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 19,90,000/- (रू0 उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/ पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/ वार्षिकी एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	विंग कमाण्डर शिवचरण सिंह तोमर	शौर्य चक्र 26-01-1978	बी-187 सूर्यनगर, गाजियाबाद	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वार्षिकी रू0 65,000/- व 2019-20 हेतु वार्षिकी रू0 **65,000/- कुल रू0 1,30,000/-**	विंग कमाण्डर शिवचरण सिंह तोमर
2.	शहीद संतोष कुमार सिंह	शौर्य चक्र, 26-03-2009	नि0-26/2 हरीनगर, पो0	वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-	श्रीमती रामवती देवी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			कृष्णानगर तहसील व जिला मथुरा	16, 2016-17 व 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 2,50,000/- तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की वार्षिकी रू0 65,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,30,000/- कुल धनराशि रू0 3,80,000/-	माता शहीद स्व0 संतोष कुमार सिंह
3.	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह	शौर्य चक्र 26-01-2012	सूर्यसदन, नगला दखल, कोटलारोड, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283203	एकमुश्त धनराशि रू0 10,00,000/- वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 की वार्षिकी रू0 50,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 3,50,000/- तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 की वार्षिकी रू0 65,000/- प्रतिवर्ष की दर से रू0 1,30,000/- कुल धनराशि रू0 14,80,000/-	श्री रवीन्द्र कुमार सिंह
				योग: रू0 19,90,000/-	
(रू0 उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र)					

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक ''2075-विविध सामान्य सेवाएं-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे की उपर्युक्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचान नियमानुसार करने के उपरान्त Electronic Fund Transfer से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाए कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवत हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाए तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाउचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाए। संबंधित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगत कराने से पूर्व संबंधित लाभार्थी का ''जीवित प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे। यह शासनादेश एवं ग्रिड रिपोर्ट www.shasanadesh.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-883(1)/तीन-2019-तद्दिनांक0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, गाजियाबाद/मथुरा/फिरोजाबाद।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उ0प्र0, कैसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमेश यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः 2019-2020

आवंटन तिथिः 09/01/2020

प्रेषण संख्या- 22

आवंटन आदेश संख्याः 008-gad3

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग (वित्तीय वर्ष 2019-20 का आवंटन)

लेखाशीर्षकः 2075- विविध सामान्य सेवायें (आयोजनेत्तर-मतदेय)

800- अन्य व्यय

03 - अशोक चक्र श्रंृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र0 के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एकमुश्त धनराशि

(धनराधि रूपये में)

S.No	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	380000 835000	380000 835000
2	गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	130000 325000	130000 325000
3	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1480000 2725000	1480000 2725000
	योग		1990000 3885000	1990000 3885000

महायोग- (वर्तमान आवंटन) :- रूपया उनीस लाख नब्बे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन) :- रूपया अड़तीस लाख पंचासी हजार

उमेश यादव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।